संख्या-365/2026/I/1470173/2026/004/23-6/23/2026

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-6** **लखनऊ : दिनांक 19 सितम्बर, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत अलीगढ, आगरा, एवं आजमगढ क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 11 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो0नि0वि0, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत अलीगढ, आगरा, एवं आजमगढ क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 11 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू0 604.62 लाख (रूपये छः करोड चार लाख बहसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0 सं0 | कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सेतु विंग) का पत्रांक | खण्ड/ जनपद का नाम | कार्य | स्वीकृति का शासनादेश संख्या | स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत | अब तक आवंटन | अवशेष | आवंटन धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | अनुदान सं0-57 | अनुदान सं0-83 | योग (9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 24323/CE-SEB/RYB/ALI/2026-27 Dt- 14-08-2026 | प्रा.ख. हाथरस | जनपद हाथरस में मड़नई से धनौली मार्ग पर स्थित करबन नदी पर सेतु (आर०स०सी०) बाक्स कल्वर्ट (4x5 मी० 5 सेल) का नवनिर्माण का कार्य। | 343/2025/आई/1145178/2025/23-6099/195/2025-दिनांक-17-11-2025 | 396.86<br>396.86<br>27.80<br>369.06 | 73.43 | 295.63 | 78.79 | 21.21 | 100.00 |
| 2 | तदैव | प्रा.ख. हाथरस | जनपद हाथरस में मुरसान के गांव बिचपुरी लूहेटा मार्ग पर पड़ने वाली करबन नदी पर आर०सी०सी० बाक्स कल्वर्ट (3 x 3 मी०-6 सेल) का नवनिर्माण कार्य। | 357/2025/आई/1150304/2025/23-6099/200/2025-दिनांक-21-11-2025 | 213.65<br>213.24<br>9.59<br>203.65 | 121.83 | 81.82 | 39.40 | 10.60 | 50.00 |
| 3 | तदैव | नि.ख.-1 एटा | टूण्डला एटा मार्ग (राज्य मार्ग-31) के किमी0-45 में 2x3x3 मी0 लघु सेतु का निर्माण कार्य। | 296/2025/आई/1123431/2025/23-6099/161/2025-दिनांक-27-10-2025 | 81.94<br>81.37<br>12.60<br>68.77 | 17.02 | 51.75 | 34.23 | 9.22 | 43.45 |
| 4 | 24321/CE-SEB/RYB/AGR/2026-27 Dt- 14-08-2026 | प्रा.ख. मथुरा | जनपद मथुरा-सौंख मार्ग से कुदरवन सम्पर्क मार्ग किमी0-2 में स्थित कुदरवन ड्रेन पर लघु सेतु का निर्माण कार्य। | 296/2025/आई/1123431/2025/23-6099/161/2025-दिनांक-27-10-2025 | 63.11<br>63.11<br>9.78<br>53.33 | 8.45 | 44.88 | 35.36 | 9.52 | 44.88 |
| 5 | तदैव | नि.ख. फिरोजाबाद | जनपद फिरोजाबाद में एका वसुंधरा नगला नेकराम मंदिर से नगला हरजू कमले फरेंदा मार्ग पर क्षतिग्रस्त रपटा के स्थान पर बॉक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य। | 91/2026/आई/1266617/2026/23-6099/81/2026-दिनांक-15-03-2026 | 62.28<br>62.28<br>0.27<br>62.01 | 1.46 | 60.55 | 42.82 | 11.53 | 54.35 |
| 6 | तदैव | प्रा.ख. फिरोजाबाद | जनपद फिरोजाबाद में उवटी रजवाह से गुढा मार्ग के किमी0-4 से 2×6 मी0 स्पान के लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। | 91/2026/आई/1266617/2026/23-6099/81/2026-दिनांक-15-03-2026 | 129.22<br>129.22<br>2.77<br>126.45 | 25.84 | 100.61 | 69.31 | 18.66 | 87.97 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | तदैव | प्रा.ख. मैनपुरी | जनपद मैनपुरी में उस्मानपुर से नगला सुमन टिकसुरी के मध्य ईशन नदी पर 3×12.00 मीटर स्पान का आर०सी०सी० लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। | 344/2025/आई/1145165/2025/23-6099/178/2025-दिनांक-17-11-2025 | 444.84<br>444.84<br>2.00<br>442.84 | 3.53 | 439.31 | 78.79 | 21.21 | 100.00 |
| 8 | तदैव | प्रा.ख. मैनपुरी | जनपद मैनपुरी में मे सौंज बम्बा से कृपालपुर मार्ग पर 2 नं0(1×6) मी0 स्पान आर0सी0सी0 लघु सेतु का निर्माण। | 91/2026/आई/1266617/2026/23-6099/81/2026-दिनांक-15-03-2026 | 129.26<br>129.26<br>3.00<br>126.26 | 1.85 | 124.41 | 39.40 | 10.60 | 50.00 |
| 9 | तदैव | प्रा.ख. मैनपुरी | जनपद मैनपुरी में जरियानीम सड़ मार्ग से आनईया नदी होते हुए सड़ मार्ग तक 3×5.00 मी0 स्पान का लघु सेतु निर्माण पहुंच मार्ग तथा अतिरिक्त पहुंच मार्ग के नवनिर्माण का कार्य। | 91/2026/आई/1266617/2026/23-6099/81/2026-दिनांक-15-03-2026 | 209.92<br>209.92<br>4.00<br>205.92 | 3.22 | 202.7 | 39.40 | 10.60 | 50.00 |
| 10 | 24324/CE-SEB/RYB/AZM/2026-27 Dt- 14-08-2026 | नि.ख. मऊ | जनपद मऊ में मिश्रौली डेराघाट मार्ग से छोटी सरयू नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। | 24/2019/324/23-10-19-08(सेतु)/2019 दि0 08.03.2019-दिनांक-08-03-2019 | 184.93<br>184.93<br>10.37<br>174.56 | 154.83 | 19.73 | 15.55 | 4.18 | 19.73 |
| 11 | तदैव | नि.ख. मऊ | जनपद मऊ में दोहरीघाट मधुबन मार्ग के किमी0-3 में आर0सी0सी0 पुलिया एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य। | 55/2020/ 194/ 23-10- 20-73-setu-2019, दिनांक-23-03-2020 | 85.23<br>85.23<br>0.02<br>85.21 | 80.97 | 4.24 | 3.34 | 0.90 | 4.24 |
| **कुल योग** | | | | | | | | **476.39** | **128.23** | **604.62** |

**<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>**

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्ते व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय ( 1 ) रुपये 4,76,39,000 ( रुपये चार करोड़ छिहत्तर लाख उनतालीस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य ( 2 ) रुपये 1,28,23,000 ( रुपये एक करोड़ अट्ठाईस लाख तेईस हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शेषनाथ)
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in